ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सत्य देव	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री कर्म चन्द	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरला देवी	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जड़ोल विकास खण्ड सुंदर नगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर	0.21
2	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.26
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	16.80
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.90
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	7.01
6	9	सोलर लाइटस क्रय में अधिक भुगतान तथा अनियमितताएँ	1.50
7	10	गलत गणना के कारण अधिक भुगतान	0.06

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2018 से 12.03.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	03/2015	09/2014
2015-16	09/2015	01/2016
2016-17	09/2016	11/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुंदरनगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 12.03.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जड़ोल से अनुरोध किया गया|

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत जड़ोल द्वारा, प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत जड़ोल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	195746.87	94842	290588.87	13946	276642.87
2015-16	276642.87	95774	372416.87	18026.50	354390.37
2016-17	354390.37	122658	477048.37	40509	436539.37

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत जड़ोल के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2014-15	1764728.13	2887518	4652246.13	2358636	2293610.13
2015-16	2293610.13	3346928.56	5640538.69	3444902.56	2195636.13
2016-17	2195636.13	4929987.82	7125623.95	5445043.32	1680580.63

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹436539.37

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1680580.63

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2117120

दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों का शेष ₹ 2095771.01

(संलग्न परीशिष्ट-2)

हस्तगत राशि ₹493.00

कुल योग ₹2096264.01

अंतर **₹20855.99**

बैंक खाता संख्या	राशि
3250100143	1398869.01
3250100143	511949
1025104000003223	184953
कुल योग	₹2095771.01

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹0.21 लाख का अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹20855 का अन्तर पाया गया। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.26 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व**:** स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृह कर के रूप में ₹26300 वसूली हेतु शेष थी।

गृहकर

वर्ष	अथशेष	वर्ष की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष

					राशि
2014-15	-	12000	12000	7500	4500
2015-16	4500	13000	17500	-	17500
2016-17	17500	39750	57250	30950	26300

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए ।

6 **अनुदान ₹16.81 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1680580.63 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.90 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹490140 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **₹7.02 लाख की क्रय मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई मदों के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत **द्वारा** भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय मदों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। विभिन्न माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹701720 की क्रय की गई मदों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई मदों का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9 सोलर लाइटस क्रय में ₹1.50 लाख का अधिक भुगतान तथा अनियमितताएँ:-

पंचायत **द्वारा** निम्न विवरण के अनुसार मेसर्स उत्तम जनरल स्टोर, सुंदर नगर से 75 सोलर स्ट्रीट लाइट न्यूनतम भाव दरों के आधार पर खरीदी।

क्रम सं.	वाउचर सं./माह	विवरण	दर	बिल सं./दिनांक	राशि
1.	87 माह 11/16	59 सोलर स्ट्रीट लाइट (9 WATT)	₹15500 per set (स्थापना व्यय ₹2000 प्रति सेट अतिरिक्त)	03 dt.15.11.16	1032500
2.	शून्य माह 03/17	16 सोलर स्ट्रीट लाइट (09 WATT)	₹15500 per set (स्थापना व्यय 2000/- प्रति सेट अतिरिक्त)	38 dt.25.02.17	280000
				कुल योग	**₹1312500**

इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) सरकार द्वारा सोलर लाइट्स, सप्लाई करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय नही की गयी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये I

(2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु को दैनिक समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स तथा दैनिक जागरण में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज (साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था I

(3) तकनीकी तथा जटिल (complex) क्रय होने के कारण नियम 102 (5) (a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये I

(4) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/ राशी का 2 से 5 प्रतिशत earnest money प्राप्त नहीं किया गया I

(5) नियम 105 के अनुसार आपूर्तिकार संस्था से maintenance contract नहीं किया गया I

(6) आपूर्तिकार फर्म द्वारा अपनी भाव दरों में, 2000 रुपए प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट पर स्थापना व्ययों (INSTALLLATION CHARGES) का कोई उल्लेख न करने के वावजूद भी इनका भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकार संस्था को ₹150000 का अतिरिक्त भुगतान हुआ I आपूर्ति के लिए भाव दरे देने वाली फर्मो में से, केवल एक फर्म मैसर्ज हिम पॉवर इंडिया, के अतिरिक्त किसी भी फर्म ने स्थापना व्ययों का, अपनी भाव दरों में उल्लेख नही किया था I अत: सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रय पर स्थापना व्ययों के भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकार अथवा उत्तरदायी कर्मचारी से कर के पंचायत निधि में जमा करवाई जाये I

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस क्रय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए I

10 गलत गणना के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गलत गणना के कारण विभिन्न व्यक्तियों/ संस्थाओं को ₹5913 का अधिक भुगतान

किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संस्थाओं / उत्तरदाई कर्मचारी से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

वो. सं./माह	बिल सं./ dt.	विवरण	अधिक भुगतान	अंकेक्षण आपति
25 माह 10/14	शून्य dt.3.10.14	स्टेशनरी का क्रय	360	बिल में दर्शाई गई ₹140 के स्थान पर ₹500 का भुगतान
26 माह 06/15	शून्य dt.-	पंचायत घर के शौचालय के दरवाजे	1600	वो सं 25 माह 06/15 द्वारा किये गए भुगतान में शामिल राशि का पुनः भुगतान
41 माह 09/15	शून्य dt.-	निर्माण सामग्री का क्रय	2820	बिल की ₹34331के स्थान पर ₹37151 का भुगतान
68 माह 01/16	शून्य dt.-	पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय	1133	अवधि 04/15 से 01/16 से सम्बन्धित मानदेय में प्रधान तथा उपप्रधान को (पंचायत की अवधि 22.01.16 तक होने के कारण) 09 दिनों के मानदेय का अधिक भुगतान
		कुल योग	**₹5913**	

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवाना :-

ग्राम पंचायत के विकास कार्यो की सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में जाँच करने पर पाया कि उक्त माप पुस्तिकायों में पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा की प्रविष्टियों का सत्यापन ,कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया गया है। हि.प्र .पंचायती राज (वित् ,बजट ,लेखे ,संकर्म ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (c) के अनुसार ,माप पुस्तिकाओं का सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अत: इस बारे नियमों का पालन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस बारे सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

12 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का

रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर ।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

15 लघु आपति विवरणिका :-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

16 निष्कर्ष :-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 60/2018 खण्ड–1–3709–3712 दिनांक 24.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत जडोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046